कार्यालय उप वन संरक्षक, भरतपुर

क्रमांकः एफ( )FCA/उवसं/2023/ दिनांकः

निमित्त,

सहायक खनि अभियन्ता,
खान एवं भू–विज्ञान विभाग,
रूपवास (भरतपुर)

विषयः–Diversion of 189.2515 ha of forest land in favour of DMG, Rajasthan in paharpur Block A & B for Mining and generation of employment and generation of District in the State of Rajasthan (FP/RJ/MIN/149012/2021) के संबंध में।

संदर्भः–आपका पत्रांक 3237–38 दिनांक 20.12.2023 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 12640 दिनांक 27.12.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र में अंकित बिन्दु संख्या 2 में आपने डायवर्टेड क्षेत्र में Safety Zone का डिमार्केशन किया जाने एवं बिन्दु संख्या 7 में डायवर्टेड क्षेत्र के बाउन्ड्री पिल्लर (आर.सी.सी. पिल्लर) स्थापित किये जाने के संबंध में अवगत करवाया गया है।

इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा डायवर्टेड क्षेत्र में Safety Zone का डिमार्केशन एवं डायवर्टेड क्षेत्र के बाउन्ड्री पिल्लर (आर.सी.सी. पिल्लर) के सत्यापन हेतु आपको अपने संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को दिनांक 28.12.2023 को मौके पर उपस्थित होने के लिए पाबंद करने हेतु लिखा गया था। लेकिन उक्त दिनांक को आपका कोई भी अधिकारी/कर्मचारी/प्रतिनिधि मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त प्रकरण को आप द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। प्रकरण में देरी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

आपके प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में इस कार्यालय अधीन क्षेत्रीय वन अधिकारी बयाना, वनखण्ड प्रभारी गौरव बंसल एवं सर्वेयर कार्यालय हाजा द्वारा दिनांक 28.12.2023 को मौके की वस्तुस्थिति निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि आप द्वारा लगाये जाने वाले कुल 158 आर.सी.सी. बाउन्ड्री पिल्लर (ब्लॉक ए में 75 एवं ब्लॉक बी में 83) में से केवल 8 पिल्लर ही लगाये गये है। एवं लगाये गये पिल्लरों पर अंकित किये जाने वाले क्रम सं0 एवं जी.पी.एस. कोर्डिनेट्स भी गलत पाये गये है। साथ ही आप द्वारा किये जाने वाले लगभग 10–11 कि0मी0 सेफटी जोन डिमार्केशन में से केवल 100–150 मी0 सेफटी जोन का ही डिमार्केशन कि[illegible] है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के पत्र क्रमांक दिनांक 11 मार्च 2022 द्वारा 398 [illegible] हे0 वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण (FP/RJ/MIN/125714/2021) में निर्धारित शर्तों के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की गयी थी। परन्तु अत्यंत खेद का विषय है कि 1–1.5 वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत होने के

Signature Not Verified
RajKaj Ref 5275215
Digitally signed by Ganesh Kumar Verma
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2024.01.04 11:39:51 IST
Reason: Approved

उपरान्त भी अभी तक आपके द्वारा विधिवत स्वीकृति में वर्णित शर्तो की पालना नहीं की गयी है, जिसकी वजह से वर्तमान 189.2515 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण (FP/RJ/MIN/149012/2021) की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जा रहीं है। आप द्वारा बार–बार अपूर्ण रिपोर्ट प्रेषित की जा रहीं है जिसकी वजह से प्रकरण में बेवजह देरी हो रही है।

अतः आपको पुनः अवगत करवाया जाता है कि भारत सरकार द्वारा जारी विधिवत स्वीकृति दिनांक 11.03.2022 में निर्धारित समस्त शर्तों की पूर्ण पालना करवाकर रिपोर्ट इस कार्यालय में भिजवावें। ताकि प्रकरण में अनावश्यक देरी न हों।

(जी0के0 वर्मा)
उप वन संरक्षक
भरतपुर

क्रमांकः एफ( ) FCA/उवसं/2023/ **दिनांकः**

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।
2. जिला कलक्टर, भरतपुर।
3. खनि अभियंता, भरतपुर।

उप वन संरक्षक
भरतपुर

Signature Not Verified

RajKaj Ref 5275215

Digitally signed by Ganesh Kumar Verma
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2024.01.04 11:39:51 IST
Reason: Approved